108

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र0क्र0 2615-I/16 निगरानी सन् 2016

1. दीपक कुमार गुप्ता
2. धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता
3. संतोष कुमार गुप्ता
4. रवि कुमार गुप्ता

   पुत्रगण स्व0 श्री चिरौंजीलाल गुप्ता
5. मुस0 दमयन्ती पत्नी स्व. श्री चिरौंजीलाल गुप्ता

   समस्त निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0.....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन .....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

विषय – निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के रा0प्र0क्र0 537/B-121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2016 से दुखित होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है –

1. यह कि भूमि खसरा नं0 1744/2 रकवा 0.30 ढ़िस्मिल स्थित मौजा लवकुशनगर की भूमि निगरानीकर्तागण की पैत्रक भूमि है। जो वर्ष 1953–1954 (सम्बत 2011) से निगरानीकर्तागण के बाबा सुल्ला बल्द कामत्ता बानिया के नाम दर्ज कागजाद रही तथा उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्तागण के पिता रामचरन ऊर्फ चिरौंजीलाल बल्द सुल्ला बानिया के नाम फौती नामांतरण दर्ज कागजाद हुआ तथा रामचरन ऊर्फ चिरौंजीलाल की मृत्यु के बाद निगरानीकर्तागण के नाम वारसान नामांतरण हुआ। तभी से निगरानीकर्तागण काबिज होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है।

2. यह कि कस्वा के भू–माफिया एवं रंजिशी व्यक्ति जो उक्त भूमि सड़क के किनारे स्थित होने से कीमती होने से उक्त भूमि हड़पने की मंशा रखते थे ने एक आवेदन रिकार्ड सुधार बावत् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि म0प्र0 शासन सड़क दर्ज की जाये जिसका रा0प्र0क्र0 49/अ–63अ/2014–15 शकुन्तला देवी बनाम धर्मेन्द्र गुप्ता वगैरा है। जो दिनांक 31.03.2016 को निरस्त किया गया और निगरानीकर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि मान्य की गई।

धर्मेन्द्रकुमार संतोष रवि दमयन्ती

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2615-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता
5-9-16	यह निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 527 बी-121/2015-16 में अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को भेजे गये जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 2-8-2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2/ जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 2-8-2016 के विरूद्व प्रस्तुत प्रस्तुत निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ प्रकरण में विचार यह किया जाना है कि क्या जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 2-8-2016 के विरूद्व निगरानी प्रचलन योग्य है - **1968 JLJ 703 = 1968 MPLJ 507** में बताया गया है कि राजस्व अधिकारी व्दारा उपधारा-2 के अंतर्गत जॉच की गई , उसकी प्रास्थिति न्यायालय की नहीं है। म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 31 में न्यायाधीश एंव जॉच अधिकारी के सम्बन्ध में बताया गया है कि धारा 30 और 31 के अधीन अधिकारी की शक्तियॉ दो रूपों में प्रकट होती हैं। धारा 30 के अधीन जब वह किसी मामले की जॉच कर प्रतिवेदन तैयार करता है उसकी प्रास्थिति न्यायालय की नहीं है। इसके विपरीत आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि तहसीलदार लवकुशनगर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 2-8-2016 किन नियमों के अधीन आदेश मानकर न्यायलयीन प्रकिया के अधीन विचार में लिया जावे। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर एंव तहसीलदार लवकुशनगर को भेजी जावे। सदस्य	